झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

रॉंची
दिनांक :– 12-2-13

अधि॰सं॰–01 / स्था॰स्थाना॰ / पद॰–11–04 / 2011–900– / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची के निम्नलिखित प्रभारी मुख्य अभियंता(असैनिक) (चालू प्रभार) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान् में उनके नाम के सामने स्तम्भ–04 में अंकित पद / स्थान पर पदस्थापित करते हुए प्रभारी अभियंता प्रमुख (चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम / आई॰डी॰ / जन्म तिथि / गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	श्री अरूण कुमार सिंह 1638 / 25.01.54 / गया	प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉंची	प्रभारी अभियंता प्रमुख–01 (चा॰प्र॰), जल संसाधन विभाग, रॉंची	
2.	श्री राजेश सोलोमन तिग्गा 3857 / 02.01.64 / रॉंची	प्रभारी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, रॉंची	प्रभारी अभियंता प्रमुख–02 (चा॰प्र॰), जल संसाधन विभाग, रॉंची	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. अभियंता प्रमुख का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत् प्रभारी अभियंता प्रमुख (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें प्रभारी मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगें, वे स्वतः कनीय पद पर आ जायेंगे।

5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें प्रभारी मुख्य अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

6. अभियंता प्रमुख के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

12.2.13

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

12/2/13

D:\PRAMOD\NOTI. 13\E-In C..docx

ज्ञापांक :—   राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी॰डी॰सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

12.2.13

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :— 900   राँची, दिनांक :— 12-2-13

प्रतिलिपि :—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ महामहिम राज्यपाल के सलाहकार(जल संसाधन) के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि॰, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख—01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब॰, 7यो॰, एवं 8ए॰, 8बी॰ एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार यथाशीघ्र सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगें।

12.2.13

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

D:\PRAMOD\NOTI. 13\E-In C..docx